Supplement—II

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 47-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 20, 2018 (KARTIKA 29, 1940 SAKA)

General Review

वन विभाग की वर्ष 2016–17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 16 अक्तूबर, 2018

नं० 4235.—

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, जिसके लगभग 81 प्रतिशत भू–भाग पर खेती की जाती है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 44,212 वर्ग कि. मी. है जो कि भारतीय संघ के कुल भू–भाग का केवल 1.3 प्रतिशत है। राज्य में प्राकृतिक वनों का अभाव है। राज्य में अभिलिखित वन क्षेत्र 1,747 वर्ग कि. मी. है जो कि इसके भू–भाग का मात्र 3.95 प्रतिशत है। राज्य में सड़कों, रेलों, बांधों तथा नहरों आदि के साथ लगती पट्टियों की भूमि भी वन क्षेत्र में शामिल की गई है तथा इनको भारतीय वन अधिनियम-1927 के तहत सुरक्षित वन अधिसूचित करवाया जा चुका है।

राज्य में वन एवं वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 6.79 प्रतिभात भाग पर विद्यमान है (एफ.एस.आई., देहरादून द्वारा प्रकाभित भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट–2017 के अनुसार), जबकि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में अंकित है कि देश का कम से कम 33 प्रतिभात भौगोलिक क्षेत्र वन एवं वृक्षावरण के अधीन होना चाहिए। हरियाणा राज्य ने वर्ष 2006 में अपनी राज्य वन नीति तैयार की जिसके अन्तर्गत राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र को चरण बद्ध तरीके से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य है।

राज्य में वनों की कमी को पूरा करने के लिए भू–पट्टियों, सामुदायिक भूमियों एवं खेतों में मानव निर्मित वनों (पौधारोपण) को विकसित किया गया है। राज्य सरकार की वन नीति के प्रावधानों की अनुपालना में वन विभाग, वन एवं वृक्षावरण की गुणवत्ता व मात्रा वृद्धि हेतु अथक प्रयास कर रहा है। पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं, विभोशरुप से कार्बन सिंक को बढ़ाने के लिए राज्य में सफल अनुसंधान कार्यो पर आधारित पौधारोपण किये जा रहे है। वानिकी कार्यकलापों, विशेष रुप से वृक्षारोपणों को राज्य में क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यावरण की बहाली व सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

वर्ष 2016-17 में 2 करोड़ पौधों के लक्ष्य के विरुद्ध 1.92 करोड़ पौधे (विभागीय पौधारोपण–1.60 करोड़ वितरित पौधे–0.32 करोड़) लगाए गए। वर्ष 2016.17 के दौरान राज्य में पौध वितरण, रोपण लक्ष्य का 20 प्रतिभात रहा। वर्ष के दौरान प्लान स्कीमों का खर्च ₹ 145.62 करोड़ रहा।

वर्ष 2008.09 से कृषि भूमि पर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए और सम्पूर्ण राज्य में वन एवं वृक्षावरण बढ़ाने के लिए, "कृषि वानिकी का विकास–क्लोनल और नॉन क्लोनल" नामक एक योजना शुरु की गई। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की कृषि भूमि पर क्लोनल सफेदे के पौधे लगाना है। यह स्कीम राज्य के किसानों की आय वृद्धि और काष्ठ आधारित ईकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने में भी सहयोगी सिद्ध होगी और राज्य में हरित क्षेत्र भी बढ़ेगा। वर्ष 2016.17 के दौरान कुल ₹ 5663.16 लाख खर्च करके 7264.19 है. तथा 125 आर.के.एम. भूमि पर पौधारोपण किया गया।

वर्ष 2016.17 के दौरान सरकारी जंगलों का अनुमानित ग्रोईंग स्टॉक 74 लाख घ.मी. रहा जबकि वर्ष 2015.16 के दौरान यह 66 लाख घ.मी. था। वर्ष 2016.17 के दौरान कोई नया वन बंदोबस्त कार्य नहीं किया गया। मोरनी–पिंजौर वन मण्डल की कार्य योजना तैयार की जा रही है।

औशधीय पौधों के गुणों के प्रति जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में हर्बल पार्क विकसित किए गए हैं। अब तक 58 हर्बल पार्क विकसित किए जा चुके हैं।

राज्य के कुल वन क्षेत्र का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राज्य में 2 राष्ट्रीय पार्क, 8 वन्यजीव अभयारण्य, 2 संरक्षण आरक्षः तथा 3 लघु चिड़ियाघर है जिनका वर्णन निम्न प्रकार से हैः–

राष्ट्रीय उद्यान

क्र. सं.	राष्ट्रीय उद्यान का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	सुलतानपुर	गुरुग्राम	05.07.1991	352.17
2.	कलेसर	यमुनानगर	08.12.2003	11570.00

वन्य–प्राणी विहार

क्र. सं.	वन्य–प्राणी विहार का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	भिण्डावास	झज्जर	07.05.1986	1016.94
2.	छिलछिला	कैथल	28.11.1986	71.45
3.	नाहड़	रेवाड़ी	30.01.1987	522.25
4.	बीड़ शिकारगाह	पंचकूला	29.05.1987	1896.00
5.	अबूबशहर	सिरसा	27.11.1987	28492.00
6.	खापड़वास	झज्जर	27.03.1991	204.36
7.	क्लेसर	यमुनानगर	13.12.1996	13209.00
			13.01.2000	222.65
8.	मोरनी हिल्ज (खोल–हाय–रायतन)	पंचकूला	10.12.2004	5501.88
			07.09.2007	6563.93

संरक्षण आरक्षः

क्र. सं.	संरक्षण आरक्षः का नाम	जिला	स्थापना की तिथि	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	सरस्वती	कैथल	11.10.2007	11003.00
2.	बीड बड़ा वन	जीन्द	11.10.2007	1036.00

लघु चिड़ियाघर

क्र. सं.	चिड़ियाघर का नाम	जिला	स्थापना वर्ष	क्षेत्र (एकड़ में)
1.	भिवानी	भिवानी	1982-83	10.97
2.	पिपली	कुरुक्षेत्र	1985-86	27.00
3.	रोहतक	रोहतक	1985-86	41.29

बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी द्वारा पिंजौर के निकट वन विभाग के सहयोग से गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास के लिए "गिद्ध संरक्षण प्रजनन केन्द्र" की स्थापना की गई है जो कि पूरे भारत में तेजी से कम हो रहे है। यह केन्द्र अगस्त 2001 में शुरू किया गया तथा यह केन्द्र ब्रिटिश सरकार की प्रजातियों के अस्तित्व के लिए डार्विन इनिशिएटिव द्वारा पहले पांच साल के लिए वित्त पोषित किया गया और अब इस केन्द्र की गतिविधियां पक्षियों के संरक्षण हेतु रॉयल सोसायटी (आर.एस.पी.बी.) लन्दन द्वारा बी.एन.एच.एस. को उपलब्ध करवाये गये धन से समर्थित हैं। गिद्धों के संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु स्थापित एशिया में यह अपनी तरह का पहला केन्द्र है।

इस केन्द्र में उपलब्ध गिद्धों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र. सं.	गिद्ध की प्रजाति	वयस्क	किशोर	कुल
1.	White backed	29	46	75
2.	Long billed	34	84	118
3.	Slender billed	10	23	33
	कुल	**73**	**153**	**226**

यमुनानगर जिले के बनसन्तौर जंगल में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है। केन्द्र में बीमार, घायल एवं बचाये गये हाथियों के पुनर्वास का कार्य किया जाता है जिससे इन्हें प्राकृतिक आवास मिल सके। इस केन्द्र पर ₹ 18 लाख की राशि वर्ष 2016-17 के दौरान खर्च की गई।

रेवाड़ी जिले के झाबुआ आरक्षित वन क्षेत्र में मोर तथा चिंकारा के लिए संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र में मोर व चिंकारा का प्राकृतिक ढंग से प्रजनन किया जायेगा। 20 वर्ष तक चलने वाली इस परियोजना पर स्टाफ के वेतन सहित लगभग 20 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इस केन्द्र पर वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 29.98 लाख की राशि खर्च की गई।

राज्य वन नीति में विशेष रुप से महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के गठन पर बल दिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय सृजन गतिविधियों में वृद्धि हो सके और उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में शामिल किया जा सके। इन स्वयं सहायता समूहों को लघु–उद्योगों के माध्यम से स्वः रोजगार पाने एवं आय में बढ़ोतरी करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक व आर्थिक विकास के लिये कुल 2487 ग्राम वन समितियों एवं विशेषतः महिलाओं के 1900 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके।

विभागीय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्राप्ति वर्ष 2016.17 के दौरान निम्न प्रकार से रहे :–

क्र. सं.	(अ) योजना	भौतिक		वित्तीय
		है.	आर.के.एम.	(₹ लाखों में)
(क) राज्य स्कीमें				
1.	कृषि वानिकी का कूटक/गैर कूटक विकास	7264.19	125.00	5663.16
2.	शहरी क्षेत्रों में हरी पट्टी	0.00	305.00	832.45
3.	परिभ्रष्ट वनों का पुनर्वास	134.00	0.00	1357.25
4.	अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनरुत्थान	1138.19	0.00	1111.80
5.	मरुस्थल नियंत्रण	81.00	0.00	84.15
6.	पौधारोपण लक्ष्य रहित स्कीमें	0.00	0.00	4570.07
	जोड़	**8617.38**	**430.00**	**13618.88**

क्र. सं.	(अ) योजना	भौतिक		वित्तीय
		है.	आर.के.एम.	(₹ लाखों में)
(ख) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें (शेयर बेसिज)				
1.	राष्ट्रीय वनीकरण और वानिकी / राज्य वन विकास एजेंसी द्वारा वनीकरण गतिविधियां (एस.एफ.डी.ए.) द्वारा क्रियान्वित (केन्द्रीय शेयर– ₹ 0.00 लाख तथा राज्य शेयर – ₹ 0.00 लाख)	1068.86	0.00	Budget allocation awaited
2.	वन्यजीव निवास के समन्वित विकास (वन्यजीव) (केन्द्रीय शेयर – ₹ 98.97 लाख तथा राज्य शेयर – ₹ 65.98 लाख)	0.00	0.00	164.95
3.	समेकित वन संरक्षण (केन्द्रीय शेयर– ₹ 54.26 लाख तथा राज्य शेयर – ₹ 36.17 लाख)	0.00	0.00	90.43
4.	वन्य प्राणी विहारों का सुधार, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण (केन्द्रीय शेयर - ₹ 10.00 लाख तथा राज्य शेयर - ₹ 49.88 लाख)	0.00	0.00	59.88
जोड़		**1068.86**	**0.00**	**315.26**
1.	वन्य–प्राणी संरक्षण	0.00	0.00	266.99
2.	चिड़ियाघरों व हिरण पार्कों का विस्तार	0.00	0.00	360.94
जोड़		**0.00**	**0.00**	**627.93**
योजना जोड़		**9686.24**	**430.00**	**14562.07**
(ब) गैर–योजना				
1.	निर्देशन एवं प्रशासन (मुख्यतः स्थापना व्यय)	0.00	0.00	11583.67
2.	पौधारोपण एवं गणना	0.00	0.00	557.06
3.	लोंगिग (वृक्षों की कटाई तथा फर्नीचर बनाना)	0.00	0.00	926.51
4.	संचार एवं भवन (खासतौर पर भवनों की मरम्मत पर)	0.00	0.00	23.25
5.	अन्य चार्जिज (बकाया राशि भुगतान)	0.00	0.00	47.48
6.	अन्य (प्रशिक्षण, वर्दी एवं मिश्रित)	0.00	0.00	147.15
7.	वन्य–प्राणी परिरक्षण	0.00	0.00	1006.90
गैर–योजना जोड़		**0.00**	**0.00**	**14292.02**
योजना तथा गैर–योजना जोड़		**9686.24**	**430.00**	**28854.09**
(स) डी.आर.डी.ए. तथा अन्य संस्थाएं				
1.	कैम्पा (प्रतिपूरक वानिकी कोष प्रबन्धन पौधारोपण संस्था)	5363.52	4959.04	5046.59
2.	काढा	2516.52	0.00	373.53
3.	त्रिफला परियोजना	75.00	0.00	41.64
4.	नई रेलवे लाईन, जीन्द, सोनीपत पौधारोपण	0.00	33.00	26.29
जोड़		**7955.04**	**4992.04**	**5488.05**
कुल –जोड़		**17641.28**	**5422.04**	**34342.14**

योजना तथा गैर योजना खर्च :

वर्ष 2016.17 के दौरान विभागीय योजनागत खर्चा ₹ 145.62 करोड़ था जबकि गैर योजनागत् स्कीमों पर ₹ 142.92 करोड़ रहा। मुख्य व लघु वन उपज की बिक्री से ₹ 51.47 करोड़, पौधों की बिक्री से ₹ 0.26 करोड़, मिश्रित प्राप्तियों से ₹ 3.94 करोड़ तथा वन्य–प्राणी संरक्षण से ₹ 0.60 करोड़ प्राप्त किए गए। इस प्रकार विभागीय राजस्व प्राप्तियां व कुल खर्च क्रमशः ₹ 56.27 करोड़ व ₹ 288.54 करोड़ रहा। कुल स्थापना खर्च ₹ 158.64 करोड़ आंका गया जो कि कुल खर्च का 55 प्रतिशत है। वर्ष 2016.17 में डी.आर.डी.ए. इत्यादि अन्य एजेन्सियों से प्राप्त ₹ 54.88 करोड़ की राशि सहित सम्पूर्ण खर्च ₹ 343.42 करोड़ रहा।

नए भवनों, सड़कों व मार्गों के निर्माण पर ₹ 2.16 करोड़ की राशि खर्च की गई। पुराने भवनों, सड़कों व मार्गों की मुरम्मत ₹ 3.02 करोड़ की लागत से की गई। इस प्रकार से वर्ष के दौरान विभाग द्वारा संचार तथा भवनों पर ₹ 5.18 करोड़ खर्च किए और जिसमें स्टेट स्कीमों का खर्चा ₹ 5.07 करोड़ तथा कैम्पा प्रोग्राम का खर्चा ₹ 0.11 करोड़ रहा।

राज्य के सरकारी जंगलों से कटाई

विभागीय उत्पादन मण्डलों द्वारा 75322 घ.मी. तथा हरियाणा वन विकास निगम द्वारा 41745 घ.मी. वृक्षों को काटा गया। इस प्रकार से वर्ष 2016.17 में सरकारी जंगलों से 117067 घ.मी. वृक्षों की कटाई की गई।

वन एवं वन्य–प्राणी अपराध

राज्य में वन एवं वन्य–प्राणियों के संरक्षण व सुरक्षा के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927ए वन्य–प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम 1972 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम सख्ती से लागू हैं। पिछले पांच वर्षों के वन अपराध सम्बन्धी आंकड़ों की समीक्षा निम्न प्रकार रही।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुए	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान	वर्ष के दौरान जिन मामलों का पता नहीं चला	वर्ष के अन्त में बकाया
2012.13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013.14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014.15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015.16	4416	7993	12409	8210	44	4155
2016.17	4155	6649	10804	5876	81	4847

वन्य–प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 के अन्तर्गत अपराध

वर्ष	31 मार्च को बकाया	वर्ष के दौरान दर्ज हुए	जोड़	वर्ष के दौरान निपटान		वर्ष के अन्त में बकाया
				विभाग द्वारा	न्यायालय द्वारा	
2012.13	79	488	**567**	427	52	88
2013.14	88	398	**486**	358	20	108
2014.15	108	425	**533**	311	30	192
2015.16	192	378	**570**	418	24	128
2016.17	128	389	**517**	389	7	121

जांच एवं मूल्यांकन

वन विभाग के कार्य मुख्यतः नर्सरी उगाना, अर्थ वर्क, पौधे लगाना, पौधारोपण की देखरेख के दौरान उसका नुकसानों से बचाव करना; वन सम्पदा की चोरी रोकना, भू–संरक्षण कार्य आदि हैं। इन कार्यों को अमल में लाने के लिए क्षेत्रीय अमला सीधे तौर पर जिम्मेवार है, परन्तु इन कार्यों की नियमित तथा सामायिक जांच एवं मूल्यांकन की आवश्यकता है। जांच एवं मूल्यांकन आन्तरिक व बाहरी तौर से किया जा सकता है। वन विभाग ने विभाग के अन्दर ही आन्तरिक मूल्यांकन की प्रणाली विकसित की है। कभी–कभी राज्य सरकार द्वारा बाहरी मूल्यांकन भी करवाया जाता है। केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के मामलों में मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा तथा बाहरी मदद से चलाई जा रही परियोजनाओं का मूल्याकंन अनुदान देने वाली संस्थाओं द्वारा भी किया जाता है।

ई– शासन अंगीकार :

लेखा, प्रशासन, वन एवं वन्य जीव तथा कार्मिक प्रबंधन के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रबन्धन सूचना प्रणाली (एम. आई.एस.) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस.) का विकास किया जा रहा है। राज्य में पौधारोपण क्षेत्रों, वन क्षेत्रों, आग से प्रभावित क्षेत्रों के नक्शे तैयार करने के लिये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) का प्रयोग किया जा रहा है। राज्य में वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र के परिवर्तन को आंकने के उद्देश्य से उपग्रहों से प्राप्त इमेजों के उपयोग का प्रस्ताव है। वन भूमि प्रबन्धन, वन अपराध प्रबंधन तथा नर्सरी स्टॉक प्रबंधन आदि मुख्य वानिकी कार्यों के निर्णय सहायक तंत्रों का विकास किया जा रहा है। वन सम्पति प्रबंधन नामक एक अन्य निर्णय सहायक तन्त्र भी विकसित करवाया जा रहा है।

"पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम, 1900 के तहत बंद क्षेत्रों से पेड़ काटने बारे अनुमति" तथा "आरक्षित वन/प्रतिबंधित वन/पंजाब भूमि परिरक्षण अधिनियम के तहत बंद क्षेत्रों बारे अनापति पत्र" नामक दो नागरिक सेवाओं को विभाग द्वारा शुरू किया गया है। ब्लॉक वन क्षेत्रों को हारसैक, हिसार की मदद से *डिजिटाईजड* करवाया जा रहा है।

एस० एन० राय,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वन एवं वन्य प्राणी विभाग, चण्डीगढ़।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 4 जून, 2018.

Review of the Annual Administrative Report of Haryana Forest Department for the year 2016-17.

The 16th October, 2018

No. 4235.—

Haryana is primarily an agricultural state with almost 81% of its land under cultivation. It has a geographical area of 44,212 sq.. km, which is merely 1.3% of the geographical area of the country. The State is not bestowed with bounty of natural forests. The extent of recorded forest areas in the State is 1,747 sq. km i.e. 3.95% of its total land area. The forest areas include strips of land along roads, canals, bunds and railways etc. which have been notified as protected forests under the Indian Forest Act, 1927.

The Forest and Tree Cover (FTC) extends only to 6.79% of the geographical area of the State (as per State of Forest Report-2017 published by the Forest Survey of India (FSI) Dehradun) whereas the National Forest Policy, 1988 envisages of having at least 33% of the total geographical area of the country under FTC. The State of Haryana formulated its own State Forest Policy in the year 2006 that aims at increasing the FTC in the state to 20% in a phased manner.

To make up for the deficient forests, the State has developed man-made forests (plantations) on strip lands, community lands and farm lands. In compliance of the provisions made in the Forest Policy of State Government, the Forest Department is making all efforts in increasing the quality and quantity of FTC in the State. Plantations based on successful research works are being carried out in the State to enhance ecosystem services. The forestry activities, especially plantations are being executed in the State to achieve the goal of restoration and amelioration of environment.

During 2016-17, 1.92 Crore plants were planted (Departmental plantations – 1.60 Crore; Distribution of plants- 0.32 Crore) against the planting target of 2.00 Crore plants in the state. The distribution of seedlings was about 20% of the planting carried out in the State during 2016-17. The expenditure under State Plan Schemes remained Rs. 145.62 Crore.

The scheme namely "Development of Agro-Forestry – Clonal and Non-Clonal" was started during the year 2008-09 to encourage agro-forestry on farm lands for increasing the FTC in the State. The main emphasis of the scheme was to raise plants of clonal eucalyptus on farmlands of small and marginal farmers. The scheme will also go a long way in augmenting the supply of raw material for wood-based industries and increasing the income of farmers in the state and also increasing the green cover in the State. A Plantation target of 7264.19 ha. and 125 RKM was achieved spending an amount of ` 5663.16 lakh during 2016-17.

The growing stock in the Government forests was estimated as 74 lakh Cubic Meter during 2016-17 while it was 66 Lakh Cubic Meters during 2015-16. No new forest settlement work was carried out during the year 2016-17. Working Plan of Morni-Pinjore Division is being prepared.

Herbal parks have been developed in all districts to generate awareness about the benefits of medicinal plants, herbs and shrubs. A total of 58 Herbal Parks have been set up.

The state has about 20% of the total forest area under Protected Areas. The State has 2 National Parks, 8 Wildlife Sanctuaries, 2 Conservation Reserves and 3 Mini Zoos as mentioned below:-

National Parks

Sr. No.	Name of National Park	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Sultanpur	Gurugram	05.07.1991	352.17
2.	Kalesar	Yamunanagar	08.12.2003	11570.00

Wildlife Sanctuaries

Sr. No.	Name of Wildlife Sanctuary	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Bhindawas	Jhajjar	07.05.1986	1016.94
2.	Chhilchhila	Kaithal	28.11.1986	71.45
3.	Nahar	Rewari	30.01.1987	522.25
4.	Bir Shikargah	Panchkula	29.05.1987	1896.00
5.	Abubshehar	Sirsa	27.11.1987	28492.00
6.	Khaparwas	Jhajjar	27.03.1991	204.36
7.	Kalesar	Yamunanagar	13.12.1996 13.01.2000	13209.00 222.65
8.	Morni Hills (Khol-Hi-Raitan)	Panchkula	10.12.2004 07.09.2007	5501.88 6563.93

Conservation Reserves

Sr. No.	Name of Conservation Reserve	District	Date of Establishment	Area (in Acre)
1.	Saraswati	Kaithal	11.10.2007	11003.00
2.	Bir-Bara-Ban	Jind	11.10.2007	1036.00

Mini Zoos

Sr. No.	Name of Zoo	District	Year of Establishment	Area (in Acre)
1.	Bhiwani	Bhiwani	1982-83	10.97
2.	Pipli	Kurukshetra	1985-86	27.00
3.	Rohtak	Rohtak	1985-86	41.29

The Bombay Natural History Society has set up "Vulture Conservation Breeding Centre" in collaboration with the Forest Department near Pinjore to conserve and rehabilitate vultures which are rapidly decreasing throughout India. This project was started in August, 2001 and was funded by the Darwin Initiative for the Survival of Species of U.K. Government for the first five years and now the activities are being supported by the funds given by the Royal Society for Protection of Birds (RSPB), London. It is the first centre of its kind in Asia.

The details of vultures in the center are:-

Sr. No.	Species of Vulture	Adult	Juvenile	Total
1.	White backed	29	46	75
2.	Long billed	34	84	118
3.	Slender billed	10	23	33
	TOTAL	**73**	**153**	**226**

An Elephant Rehabilitation and Research Centre has been set up at Bansantour forest in Yamunanagar district. This centre takes up the rehabilitation of the sick, injured and rescued elephants to provide them natural habitat. An amount of ₹ 18 lakh was spent on this centre during the year 2016-17.

The "Conservation and Breeding Centre for Peafowl and Chinkara" has been established in their natural habitat at Jhabua Reserve Forest (Rewari). Peafowl and chinkara will breed naturally in this centre. The expenditure of the project during 20 years will be around ₹ 20 crore includes salary of the staff. An amount of ₹ 29.98 lakh was spent on this centre during the year 2016-17.

The State Forest Policy proposed to create Self Help Groups (SHGs), particularly of women, in rural areas for income generation activities for the people living below poverty line and involve them in conservation of natural resources. SHGs are given proper training to start their micro-enterprises for self-employment and income generation. Total 2487 Village Forest Committees (VFCs) and 1900 SHGs, mostly of women, have been constituted in the state for socio-economic empowerment of the rural areas.

Physical and financial performance of the department during the year 2016-17 was as under:-

Physical and Financial Performance				
Sr. No.	**(A) PLAN**	**Physical (in Ha.)**	**RKM**	**Financial (` in Lakh)**
(a) State Schemes				
1.	Development of Agro-Forestry Clonal and Non-Clonal	7264.19	125.00	5663.16
2.	Green Belt in Urban Areas	0.00	305.00	832.45
3.	Rehabilitation of Degraded Forests	134.00	0.00	1357.25
4.	Revitalization of Institutions in Aravali Hills	1138.19	0.00	1111.80
5.	Desert Control	81.00	0.00	84.15
6.	Schemes Without Plantation Target	0.00	0.00	4570.07
Total		**8617.38**	**430.00**	**13618.88**
(b) Centrally Sponsored Schemes on Sharing Basis				
1.	National Afforestation and Forestry / Afforestation Activities by State Forest Development Agency (SFDA) (Central Share 0.00 lac & State Share 0.00 lac)	1068.86	0.00	Budget allocation awaited.
2.	Integrated Development of Wild Life Habitats (Wild Life) (Central Share 98.97 lac & State Share 65.98 lac)	0.00	0.00	164.95
3.	Integrated Forest Protection (Now name as: Intensification of Forest Management (CSS) (Central Share 54.26 lac & State Share 36.17 lac)	0.00	0.00	90.43
4.	Strengthening Expansion and Improvement of Sanctuaries (Central Share 10.00 lac & State Share 49.88 lac)	0.00	0.00	59.88
Total		**1068.86**	**0.00**	**315.26**
(c) Wild Life Preservation				
1.	Protection of Wild Life	0.00	0.00	266.99
2.	Extension of Zoo & Deer Parks	0.00	0.00	360.94
Total		**0.00**	**0.00**	**627.93**
Plan Total		**9686.24**	**430.00**	**14562.07**

	(B) NON-PLAN			
(a)	Direction & Administration (mainly establishment expenditure)	0.00	0.00	11583.67
(b)	Plantation & Enumeration	0.00	0.00	557.06
(c)	Logging (felling of trees & furniture making)	0.00	0.00	926.51
(d)	Communication and Building (specially buildings maintenance)	0.00	0.00	23.25
(e)	Other Charges (Back Wages Payments)		0.00	47.48
(f)	Others (Training, Uniform & Miscellaneous)		0.00	147.15
(g)	Wild Life Preservation	0.00	0.00	1006.90
	Non-Plan Total	**0.00**	**0.00**	**14292.02**
	Departmental Plan & Non-Plan Total	**9686.24**	**430.00**	**28854.09**
	(C) DRDA & OTHER AGENCIES			
(a)	CAMPA- Compensatory Afforestation Fund Management Planning Authority	5363.52	4959.04	5046.59
(b)	CADA	2516.52	0.00	373.53
(c)	Triphala Project	75.00	0.00	41.64
(d)	New Railway Line Jind-Sonipat Plantation	0.00	33.00	26.29
	DRDA & Other Agencies Total	**7955.04**	**4992.04**	**5488.05**
	Grand Total	**17641.28**	**5422.04**	**34342.14**

Plan & Non Plan Expenditure:

The plan expenditure of the department during the year 2016-17 was ₹ 145.62 Crore whereas the non-plan expenditure was ₹ 142.92 Crore. Revenue amounting to ₹ 51.47 Crore was realized from the sale of major and minor forest produce, ₹ 0.26 Crore from sale of plants, ₹ 3.94 Crore from miscellaneous receipts and ₹ 0.60 Crore from wildlife preservation. Thus, the total revenue receipts and expenditure were ₹ 56.27 Crore and ₹ 288.54 Crore respectively. Establishment expenditure was assessed as ₹ 158.64 Crore which was 55% of the total expenditure. Gross expenditure including funds of ₹ 54.88 Crore made available to the department by other agencies like DRDA etc**.** was ₹ 343.42 Crore during the year 2016-17.

An amount of ₹ 2.16 Crore was spent on the construction of new buildings, roads and paths. The old buildings, roads and paths were repaired at a cost of ₹ 3.02 Crore. Thus, the expenditure on communication and buildings remained ₹ 5.18 Crore during the year out of which expenditure under state scheme was ₹ 5.07 Crore and expenditure under state CAMPA was ₹ 0.11 Crore.

State-owned Forests Out-turn:

Trees having total volume of 75322 Cubic Meter were felled / harvested by Production Divisions of the Department and trees having total volume of 41745 Cubic Meter were felled / harvested by Haryana Forest Development Corporation (HFDC) in the state. Thus, trees having total volume of 117067 Cubic Meter were harvested from state-owned forests during the year 2016-17.

Forests and Wildlife Offences:

Indian Forest Act 1927, Wildlife (Protection) Act 1972 and rules framed their under remained strictly enforced to protect forests and wildlife in the state. The trend of offences for last five years is given below: -

Offences under Indian Forest Act 1927

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided during the year	Undetected cases of the year	Balance at the end of the year
2012-13	7859	7459	15318	9751	24	5543
2013-14	5543	8026	13569	8476	1	5092
2014-15	5092	7323	12415	7877	122	4416
2015-16	4416	7993	12409	8210	44	4155
2016-17	4155	6649	10804	5876	81	4847

Offences under Wild Life Protection Act 1972

Year	Pending on 31st March	Recorded during the year	Total	Decided/Compounded within the year		Balance in the end of the year
				By Department	By Court	
2012-13	79	488	**567**	427	52	88
2013-14	88	398	**486**	358	20	108
2014-15	108	425	**533**	311	30	192
2015-16	192	378	**570**	418	24	128
2016-17	128	389	**517**	389	7	121

Monitoring and Evaluation:

The works of the Forest Department largely consist of rising of nurseries, earthwork, tree planting operations, protection of plantations from damage, guarding forest wealth from theft, soil conservation works, etc. The field staff is directly responsible for executing the works but the works require regular and periodic monitoring & evaluation. Monitoring can be either internal or external. The Forest Department has evolved a mechanism for internal monitoring within the department. External monitoring is sometimes got conducted by the state government. Also, in case of centrally sponsored schemes, monitoring is done by Govt. of India and in case of externally aided projects by the donor agencies.

Adoption of e-Governance:

Management Information System (MIS) and Geographical Information System (GIS), which are significant tools for scientific planning and management, are being developed to improve efficiency in accounts, administration, forest and wildlife management and personnel management. Global Positioning Systems (GPS) are being used for mapping of forest boundaries, fire affected areas and plantation areas in the state. To monitor changes in Forest Tree Cover in the state, satellite imageries are proposed to be used. Decision Support Systems (DSSs) for core forestry functions like Forest Land Management, Forest Offence Management and Nursery Stock Management etc. have been developed. Another DSS on Forest Assets Management System has also been developed by the department.

Two e-Citizen Services namely “Permission for felling of trees from areas closed under Punjab Land Preservation Act, 1900” and “NOC in respect of Reserved Forests / Restricted Forests / PLPA” have been launched by the department. The Block Forest Areas are being got digitized by HARSAC, Hisar.

S. N. ROY,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Forest & Wild Life Department, Chandigarh.

Chandigarh:
The 4th June, 2018.

8419—C.S.—H.G.P., Pkl.